न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

नत्थी संख्या – 171 / 2022 निर्णय दिनांक :– 1/9/2022

दिवानी प्रार्थना पत्र –

1. कूरी पुत्री गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कैलाशी पुत्री काना जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. काली पुत्री गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. धन्ना पुत्र गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. फुतरी पुत्री गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. मोत्या पत्नी चन्दा जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. मोती पुत्र गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. सूरजमल पुत्र काना जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सोमा पुत्र गोपी जाति मीना निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. भंवरलाल पुत्र मांग्या जाति मीनाा निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. सीताराम पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी सारद्डा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या 170 खसरा नम्बर 129 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम सारदडा तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त प्रार्थना–पत्र अनुसार प्रार्थी संख्या 10 व 11 के पिता मांग्या पुत्र काना की मृत्यु होना बताया है और फोती नामान्तकरण नही खुला है, इसलिए प्रार्थी संख्या 10 ता 11 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट गए है इसलिए न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मांग्या की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र में बनाया गया है, चूंकि मांग्या के विरासत का नामान्तकरण नही खुला हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

1/9/22

तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 170 खसरा नम्बर 129 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम सारदडा प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2073–76** में अंकित आराजी संख्या 170 खसरा नम्बर 129 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम सारदडा तहसील देवली जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली